



यदि आपको, या आपके जान-पहचान के किसी व्यक्ति को, किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है -- चाहे वह यौन व्यापार, घर का काम-काज, खेती का काम, मजदूरी, कारखाने, खुदरे या रेस्त्राँ का काम, या किसी और प्रकार की गतिविधि क्यों न हो -- तो सहायता तथा सेवाओं तक पहुँच पाने के लिए 1-888-373-7888 पर राष्ट्रीय मानव तस्करी संसाधन केन्द्र (National Human Trafficking Resource Center) को कॉल करें या 1-888-KEY-2-FRE(EDOM) या 1-888-539-2373 पर गुलामी और तस्करी को मिटाने के लिए कैलिफ़ोर्निया संगठन (California Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, CAST) को कॉल करें।

युनाइटेड स्टेट्स और कैलिफ़ोर्निया कानून के तहत गुलामी और मानव तस्करी के शिकार बने हुए लोगों की रक्षा की जाती है।

फ़ोन की हॉटलाइन्स:

- दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध।
- टोल-फ़्री यानि मुफ्त कॉल।
- गैर मुनाफ़े वाली, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित।
- गुमनाम तथा गोपनीय।
- 160 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध।
- सहायता तथा सेवाएं, प्रशिक्षण तथा आम जानकारी देने में सक्षम।